रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I - खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 59] नई दिल्ली बुधवार, मार्च 10, 1976/फाल्गुन 20, 1897
No. 59] NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 10, 1976/PHALGUNA 20, 1897

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Banking)

RESOLUTION

New Delhi, the 10th March 1976

No. F.2-17/76-AC.—Government have been considering for sometime past the measures to be taken for meeting the consumption needs of small farmers, landless labourers and rural artisans, consequent on the measures recently taken by State Governments for moratorium, discharge and scaling down of debts from the non-institutional sources. It has now been decided to set up an Expert Committee consisting of the following persons:

Chairman

1. Shri B. Sivaraman, Member, Planning Commission, New Delhi.

Members

2. Shri N. C. Sen Gupta, Secretary, Department of Banking, Ministry of Finance, New Delhi.
3. Shri K. S. Narang, Secretary, Deptt. of Agriculture, Ministry of Agriculture and Irrigation, New Delhi.
4. Shri I. J. Naidu, Secretary, Deptt. of Rural Development, Ministry of Agriculture and Irrigation, New Delhi.
5. Dr. C. D. Datey, Executive Director, Reserve Bank of India, Central Office, Bombay.

6. Shri G. V. K. Rao, Chief Secretary, Govt. of Karnataka, Bangalore.

7. Shri B. R. Gupta, Chief Secretary, Govt. of West Bengal, Calcutta.

8. Shri B. B. Tandon, Secretary and Administrator, 20-Point Programme, Govt. of Uttar Pradesh, Lucknow.

9. Shri V. M. Bhide, Chairman and Managing Director, Bank of Maharashtra, Poona.

Member-Secretary

10. Shri K. P. A. Menon, Joint Secretary, Deptt. of Banking, New Delhi.

One or two members may also be coopted, if considered necessary.

2. The terms of reference of this Committee will be as follows:

(i) To study the impact of the moratorium, discharge and scaling down of rural indebtedness of the small/marginal farmers, landless labourers and rural artisans so far as their genuine and inescapable consumption credit needs are concerned.

(ii) To inquire into the purpose for which such consumption credits were availed of.

(iii) To assess broadly the credit gap in respect of consumption loans consequent on these measures.

(iv) To review the present position of availability of consumption credit to such people from institutional sources.

(v) To make recommendations as to the purposes for and the agencies from which such consumption loans are to be provided.

(vi) To make recommendations on any matter incidental to the terms of reference, as the Committee may consider necessary.

3. The Committee will start functioning with immediate effect and will submit its report by the 31st March, 1976.

ORDER

Ordered that a copy of the Resolution be communicated to the Cabinet Secretariat, the Prime Minister's Secretariat, all the Ministries/Departments of the Govt. of India, the Planning Commission, the State Governments and the Governments/Administrations of Union Territories.

Ordered also that the Resolution be published in the Gazette of India Extraordinary dated the 10th March, 1976 for general information.

N. C. SEN GUPTA, Secy.

वित्त मंत्रालय

(बैंकिंग विभाग)

संकल्प

नई दिल्ली, 10 मार्च, 1976

सं० एफ० 2-17/76-ए० सी०.—गैर संस्थागत स्रोतों से लिये गये ऋणों के स्थगन, माफी और न्यूनीकरण के लिए हाल ही में राज्य सरकारों द्वारा किये गये उपायों के परिणाम-स्वरूप छोटे किसानों, भूमिहीन मजदूरों और ग्रामीण शिल्पियों की उपभोग की आवश्यकताओं

को पूरा करने के उपायों पर सरकार कुछ समय से विचार कर रही थी । अब यह निर्णय किया गया है कि निम्नलिखित व्यक्तियों की एक विशेषज्ञ समिति बनाई जाय :—

1.	श्री बी० शिवरामन, सदस्य, योजना आयोग, नई दिल्ली	अध्यक्ष
2.	श्री एन० सी० सेनगुप्ता, सचिव, बैंकिंग विभाग, वित्त मंत्रालय, नई दिल्ली	सदस्य
3.	श्री के० एस० नारंग, सचिव, कृषि विभाग, कृषि और सिंचाई मंत्रालय, नई दिल्ली	सदस्य
4.	श्री आई० जे० नायडू, सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, कृषि और सिंचाई विभाग, नई दिल्ली	सदस्य
5.	डा० सी० डी० दाते, कार्यकारी निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक, केन्द्रीय कार्यालय, बम्बई	सदस्य
6.	श्री जी० वी० के० राव, मुख्य सचिव, कर्नाटक राज्य, बंगलौर	सदस्य
7.	श्री बी० आर० गुप्ता, मुख्य सचिव, पश्चिम बंगाल सरकार, कलकत्ता	सदस्य
8.	श्री बी० बी० टण्डन, सचिव तथा प्रशासक 20 सूत्री कार्यक्रम, उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ	सदस्य
9.	श्री वी० एम० भिड़े, अध्यक्ष और प्रबन्ध निदेशक बैंक आफ महाराष्ट्र, पुणे	सदस्य
10.	श्री के० पी० ए० मेनन, संयुक्त सचिव, बैंकिंग विभाग, नई दिल्ली	सदस्य-सचिव

यदि आवश्यक समझा गया तो एक या दो सदस्यों को भी सहयोजित किया जा सकता है।

2. समिति के विचारणीय विषय निम्नलिखित होंगे :

(1) छोटे/सीमांतिक किसानों, भूमिहीन मजदूरों और ग्रामीण शिल्पियों की ग्रामीण कर्जदारी के स्थगन, माफी और न्यूनीकरण के प्रभावों का उस सीमा तक अध्ययन करना जहां तक उनकी वास्तविक और अपरिहार्य उपभोग ऋण की आवश्यकताओं का सम्बन्ध है ।

(2) उन प्रयोजनों की जांच करना जिनके लिए ऐसे उपभोग ऋण लिये जाते हैं।

(3) इन उपायों के परिणामस्वरूप उपभोग ऋणों के सम्बन्ध में ऋण के अंतर का मोटे तौर पर मूल्यांकन करना।

(4) इन व्यक्तियों को संस्थागत स्रोतों से उपभोग ऋण की उपलब्धता की वर्तमान स्थिति की समीक्षा करना।

(5) उन प्रयोजनों तथा अभिकरणों के बारे में सिफारिशें करना जिनके लिए अथवा जिनके माध्यम से इन उपभोग ऋणों की व्यवस्था की जानी है।

(6) विचारणीय विषयों के ऐसे किसी आनुषंगी मामले के बारे में सिफारिशें देना जिन्हें समिति आवश्यक समझे ।

3. समिति तत्काल अपना काम आरम्भ करेगी तथा 31 मार्च, 1976 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति मंत्रिमंडल सचिवालय, प्रधान मंत्री सचिवालय, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों, योजना आयोग, राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों/प्रशासकों को भेजी जाय।

यह भी आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प 10 मार्च, 1976 के भारत के असाधारण राजपत्र में आम सूचना के लिए प्रकाशित किया जाय।

एन० सी० सेनगुप्ता, सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1976